1. वादी संख्या 1 भेरूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसर नम्बर 226 रकबा 1.7887 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 बीरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 225 रकबा 1. 9425 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 228 रकबा 1.3274 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 229 रकबा 1.7401 हैक्टेयर यथावत् रखे जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 23/09/14 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner